संख्या-15/2015/1849/94-1-2015-312(132)/2012

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद।
(2) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 25 अगस्त,2015

विषयः- उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग में स्टाम्प पेपर की वापसी के अनुरोधपर धन का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में शासन के संज्ञान में यह आया था कि जनपद स्तर पर स्टाम्प पेपर के वापसी के सम्बन्ध में प्रेषित प्रार्थना पत्रों पर धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में अत्यधिकविलम्ब किया जाता है। इस कारण शासन द्वारा विचारोपरान्त स्टाम्प पेपर की वापसी के अनुरोध पर धन का निर्धारित समय-सीमा में भुगतान करानेहेतु प्रकरण उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम-2011के अन्तर्गत सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है।

2- इस सन्दर्भ में लोक सेवा प्रबन्धन विभाग द्वारा स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के प्रश्नगत प्रकरण को उत्तर प्रदेशजनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत सम्मिलित करते हुए अधिसूचना संख्या-1/2015/460/91-09/2014,दिनांक13-08-2015 निर्गत की गयी है, जिसमेंस्टाम्प पेपर की वापसीके अनुरोध पर धन का भुगतान करने की समय-सीमा आवेदन की तिथि से 30 दिवस में तथा प्रथम अपील व द्वितीय अपीलकी समय-सीमाक्रमशः 30-30 दिन निर्धारित कर दी गई है।

3- इस सम्बन्ध में उक्त अधिसूचना दिनांक 13-08-2015 की प्रति (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) को प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त अधिसूचना में निर्धारित प्राविधानों का अनुपालनसुनिश्चित कराने का कष्ठ करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

अनिल कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-15/2015/1849(1)/94-1-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अधिसूचना की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि संलग्न अधिसूचना में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करनेका कष्ट करें:-

1- समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) , उत्तर प्रदेश।
2- समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।

संलग्नकः यथोपरि।

(सुधीन्द्र कुमार)
उपसचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन
लोक सेवा प्रबन्धन विभाग
संख्या-1/2015/460/91-09/2015
लखनऊः दिनांकः 13 अगस्त, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-3, सन् 2011) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, समय-समय पर यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-2198/1-14-2010-33-(100)-2010 टी.सी.-3 दिनांक 15 जनवरी, 2011 में इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित संशोधन करते हैंः-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या-34 की प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार बढा दी जायेगी, अर्थात्ः-

क0 सं0	विभाग का नाम	सेवा संख्या	प्रकरण	निस्तारण की समय-सीमा		
				आवेदन की तिथि से	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
1	2	3	4	5	6	7
35	स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग	1	स्टाम्प पेपर की वापसी के अनुरोध पर धन का भुगतान	30 दिवस	30 दिवस	30 दिवस

आज्ञा से,
(एस. एन. शुक्ल)
प्रमुख सचिव।

Uttar Pradesh Shasan
Lok Sewa Prabandhan Vibhag

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1/2015 460 /91-09/2014. dated, August 13 , 2015.

NOTIFICATION

No. 1/2015 460 /91-09/2014
Lucknow: Dated, August 13 ,2015

In exercise of the powers under section-3 of the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (U.P.Act, no. 3 of 2011) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clause Act, 1904 (U.P.Act. no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the following amendment in Government notification no. 2198/I-14-2010-33-(100)-2010 T.C.III, dated January 15, 2011 as amended from time to time :-

AMENDMENT

In the aforesaid notification, in the Schedule, after entries at serial no. 34 the following entries shall columunwise be inserted, namely:-

Sl.No.	Name of Department	No. of service	Subject	Time Limit for disposal		
				From the date of application	First Appeal	Second Appeal
1	2	3	4	5	6	7
35	Stamp and Registration Department	1	Payment of money on request for refund of Stamp Paper	Thirty days	Thirty days	Thirty days

By Order,

(S.N.SHUKLA)
PRAMUKH SACHIV